ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

समाज में बढ़ता शारीरिक शोषण

प्रीति गहलोत
व्याख्याता,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
विद्या भवन गो.से. शिक्षक महाविद्यालय,सीटीई,
उदयपुर,राजस्थान

सारांश

घर किसी भी व्यक्ति के जीवन में बेहद आम स्थान रखता है और व्यक्ति घर में अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए तो अब घर भी सुरक्षित नहीं रहे है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आंकड़े बताते है कि महिलाएँ घर में भी सुरक्षित नहीं है। घर में उनके निकट संबंधी और यहाँ तक कि उनके पिता और भाई तक भी उनके शारीरिक शोषण करने में लिप्त पाए जाते है। पिछले कुछ समय में बलात्कार के मामलों में कुछ अजीब से, घोर अनैतिक तथ्य सामने आ रहे है। जिसमें दुधमुही बच्चियों के साथ दरिन्दगी की सारी हदें पार होती दिख रही है। इन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि आजकल घर परिवार के पुरूष और निकट रिश्तेदारों द्वारा भी बलात्कार किये जाने लगे है। कहा जा सकता है कि महिलाओं व बालिकाओं की अस्मत अब घर की दहलीज के भीतर भी सुरक्षित नहीं है।

बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को नियंत्रित करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आवश्यकता यह है कि एक ऐसा न्यायिक तंत्र विकसित किया जाए जिसमें कोई भी बलात्कारी बच न पाए और उसके किए की सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा की दर इतनी कम होती है जिस कारण भी ऐसे मामले बढ़ते है, क्योंकि अपराधियों के मन में सजा का खौफ नहीं रह जाता है। बलात्कार के लगातार बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि इस अपराध के खिलाफ लोगों में जागरूकता लायी जाए औरतों को अपनी रक्षा के गुर सिखाए जाएं और अपराधियों के मन में कानून के प्रति भय का भाव जगाया जाए।

मुख्य शब्द : समाज, शारीरिक शोषण

प्रस्तावना

समाज में फैलता शारीरिक शोषण एक वृहद शब्द है और इसमें कई प्रकार के शोषण शामिल होते है। शाब्दिक अर्थ है किसी के शरीर का किसी भी रूप में शोषण, शारीरिक शोषण कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से जबरन मजदूरी या श्रम करवाता है तो यह भी शारीरिक शोषण ही होगा। किसी महिला के साथ किया जाने वाला यह गलत कृत्य जो उसके साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि वह महिला है, शारीरिक शोषण कहलाता है। प्रत्येक महिला की एक व्यक्तिगत शालीनता होती है लेकिन जब कोई व्यक्ति उसकी शालीनता को भंग करने का प्रयास करता है तो यह शारीरिक शोषण कहलता है। यौन उत्पीड़न किसी भी महिला/बालिका के खिलाफ किया जाने वाला शायद सबसे गंभीर अपराध है। इस अपराध की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि यौन शोषण के एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश **ए.एस. आनंद** और **न्यायमूर्ति जी.एन.** खरे की खण्डपीठ ने कहा था कि किसी महिला का यौन शोषण, उसके सम्मान और गौरव के खिलाफ है। इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जाना चाहिए। यौन उत्पीड़न की घटना, संविधान प्रदत्त स्त्री पुरूष समानता, स्वतत्रंता और जीने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

शारीररिक शोषण एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कठोर कानूनी प्रावधान है लेकिन दुर्भाग्य से शारीरिक शोषण की घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही है। महिलाएँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाऐं ही नहीं देश की मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएँ तेजी से बढ़ी है। अक्सर बलात्कार के ऐसे मामले सामने आते है। जब किसी बहशी दरिदें द्वारा किसी अबोध बच्ची के साथ ये कुकृत्य किया जाता है और तो और 3 से 6 माह की बच्चियों के साथ भी ऐसे मामले सामने आ रहे है। बलात्कार एक ऐसा अपराध है जो किसी महिला के लिए उसकी हत्या से भी अधिक खतरनाक साबित होता है, क्योंकि इनके कारण

पीड़िता मानसिक रूप से भी टूट जाती है और उसे अपना अस्तित्व ही समाप्त सा होता महसूस होता है।

इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन द्वारा 2017 में कराए गए एक सर्वे में सामने आया कि हर उम्र, पेशे और वर्ग की महिलाएँ कार्यस्थल पर यौन शोषण की शिकार होती है। कुछ समय पूर्व आई वल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि दो दशक पहले हमारे देश में जहाँ 38 प्रतिशत कामकाजी महिलाएँ थी वही अब 27 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष स्तुति कक्कर ने बताया कि बाल यौन उत्पीड़न का पिछला सर्वे 2007 में हुआ था। इस सर्वे में खुलासा हुआ कि 53 फीसदी बच्चे किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न का शिकार होते है। अहम बात यह भी है कि आज भी देश की फोरेसिक साइस लैब में हजारों डीएनए नमूने जाँच के लिए लंबित है। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार 2012 तक लैब में 12072 डीएनए नमूने जाँच के लिए लम्बित थे। जबकि निर्भया कांड के बाद केन्द्र सरकार ने 2013 में पुलिस व्यवस्था दुरूस्त करने, महिला सुरक्षा और फोरेसिंक लैब जैसी सुविधाएँ विकसित करने के लिए 3000 करोड़ रूपये का फंड भी बनाया था।

तमाम रिपोर्ट बताती है कि बीते वर्षो में देश में महिला व बाल यौन उत्पीड़न के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। बीते साल दिसम्बर तक अकेले उत्तर भारत में 6800 से ज्यादा महिला उत्पीड़न के केस दर्ज थे। वही पश्चिमी क्षेत्र में यह संख्या 3300 के करीब थी। बाल उत्पीड़न के तमाम मामले तो थानों तक पहुंचे भी नहीं पा रहे है। हालात दिनों दिन और भी गंभीर होते जा रहे है, क्योंकि न केवल यौन उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ रही है बल्कि साक्ष्य खत्म करने के मकसद से मासूम बच्चियों की हत्या कर दी जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान में तेजी से बढ़ रहे महिला व बालिका के शारीरिक शोषण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। लोगों को जागरूक करना है कि किस प्रकार से महिला और बाल उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोत्री होती जा रही है। इस उत्पीड़न से बालिका के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन कारणों से शारीरिक शोषण बढ़ता जा रहा है और बाल यौन शोषण रोकने हेतु कौन से कानून बनाये गये है? भारत के पॉक्सो एक्ट में वर्तमान में क्या परिवर्तन किये गये है और विद्यालय द्वारा शारीरिक शोषण को रोकने के क्या प्रयास किये जा सकते है आदि जानकारी को प्रस्तुत अध्ययन में दर्शाया गया है। आज लोगों में शारीरिक शोषण के प्रति जागरूकता लाने की सबसे बड़ी आवश्यकता महसूस होती है जो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकती है।

वर्तमान परिदृश्य

इन दिनों लगातार सामने आ रही घटनाओं के बारे में सुनकर, पढ़कर 'हे राम' जैसे शब्द हमारे मुँह से निकल रहे है, आखिर मर्यादा पुरूषोत्तम की जन्मभूमि में यह क्या हो रहा है? वह देश जो संतों का है वहां अब मासूम बेटियाँ भी सुरक्षित नहीं रही। आखिर यह किस मानसिकता का प्रतीक बन रहा है। आधुनिकता के दौर में नैतिक मूल्यों का क्षरण निरंतर हो रहा है। बेटियों के शोषण की घटनाओं ने देश की छवि को धूमिल किया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी चर्चा होने लगी है। कठुआ और उन्नाव की घटनाओं ने देश को दहला दिया है। इस प्रकार की घटनाएँ बहुत तेजी से बढ़ रही है। बाल यौन शोषण न केवल पीड़ित बच्चे पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ता है, बल्कि पूरे समाज को भी प्रभावित करता है। भारत में बाल यौन शोषण के बहुत से मामलों को दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसे मामलों को सार्वजनिक करने पर परिवार खुद को असहज महसूस करता है। भारतीय रूढ़िवादी समाज में, जहाँ छेड़छाड़ के मुद्दे पर लड़की अपनी माता से भी बात करने में असहज महसूस करती है। बाल यौन शोषण एक अपराध है जिसे अनदेखा किया जाता है, क्योंकि लोग इस पर बात करने से बचते है। इन विषय के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयासों के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपराधियों के मन में डर डाले जाने की आवश्यकता है, यह तभी संभव है जब लोग इसका सामना करने के लिये तैयार हों। अब समय आ गया है कि माता–पिता द्वारा इस तरह के मुद्दों के बारे में अपने बच्चों को जागरूक बनाने के लिये इस विषय पर विचार विमर्श किया जाये। शैक्षिक संस्थाओं को भी जागरूकता शिविर आयोजित करने चाहिए जो लैंगिकता विषय पर सटीक जानकारी प्रदान करने में सहायक होगें।

यौन उत्पीड़न/शारीरिक शोषण के कारण

1. अधिकतर मनोवैज्ञानिक मानते है कि बलात्कार एक मानसिक बीमारी है न कि शारीरिक दोष। एक विशेष मानसिक दशा के चलते ही व्यक्ति बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर बैठता है।
2. समाज में फैली भ्रांति भी बलात्कार का कारण बनती है। नपुंसकता दूर करने के लिए बच्चियों के साथ कुकर्म करने की घटनाएँ अक्सर प्रकाश में आती रहती है।
3. विद्वान बताते है कि चरित्रहीन व्यक्ति ही बलात्कार जैसे कुकृत्य कर सकते है। इस प्रकार पुरूष का आचरण और उसका चरित्र भी बलात्कार का एक कारण हो सकता है।
4. विभिन्न प्रकार के नशों और कमजोर मनोवृत्ति के कारण व्यक्ति समाज के बंधनों को भूल कर ऐसे अपराध कर बैठता है।
5. भारत जैसे धर्म भीरू देश में धर्म के नाम पर ढ़ोंगी बाबाओं और तांत्रिकों द्वारा भी बलात्कार किए जाते है।
6. आजकल प्रेम संबंध भी बलात्कार का प्रमुख कारण बन गया है।
7. असामान्य कामुकता को बलात्कार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है।

यौन शोषण का बाल मन पर प्रभाव

यौन शोषण का बच्चों के बालमन पर बेहद प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चा मानसिक अवसाद का शिकार हो सकता है। मानसिक तनाव के कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। खान–पान, उसका व्यवहार और जीवन शैली बदल सकती है, उसके

आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। वयस्क होने पर उसका यौन–जीवन बाधित हो सकता है। उसकी प्रकृति विध्वंसात्मक बन सकती है और वयस्क होने पर उसमें आपराधिकता की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। ऐसा भी देखा गया है कि बचपन में यौन शोषण का शिकार बनने वाले बच्चे, वयस्क होने पर आत्महत्या तक कर लेते है। ऐसा उनमें अवसाद और हताशा के कारण होता है।

बाल यौन शोषण से निपटने के लिए कानून

भारतीय दण्ड संहिता 1860, धारा 376, 354 आदि महिलाओं के खिलाफ होने वाले बहुत प्रकार के यौन अपराधों से निपटने के लिये प्रावधान प्रदान करती है, लेकिन दोनों ही लिंगों के बच्चों (लड़का/लड़की) के साथ होने वाले किसी प्रकार के यौन शोषण या उत्पीड़न के लिये कोई विशेष वैधानिक प्रावधान नहीं है। इस कारण वर्ष 2012 में संसद ने यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम 2012 इन सामाजिक बुराई से बच्चों की रक्षा करने और अपराधियों को दण्डित करने के लिए एक विशेष अधिनियम पॉक्सो कानून (Pasco means Prevention of Children from Sexual Offences) बनाया। इसे पारित कराने से पहले महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार आधे से ज्यादा बच्चे किसी ना किसी रूप में यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे। कानून का मकसद बच्चों को एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। कानून के अनुसार यदि बाल यौन शोषण का कोई मामला सामने आता है तो पुलिस को 24 घण्टे के अन्दर उस पर कार्यवाही करनी होगी। साथ ही बच्चे की पहचान को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है। कानूनी कार्यवाही के कारण बच्चों को मानसिक रूप से कष्ट ना पहुँचे इसके लिए उसे बार–बार गवाही देने के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता। माता–पिता की मौजूदगी में जल्द से जल्द डॉक्टरी जांच कराना और बाल विकास समिति को सूचित करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है।

भारत में पॉक्सो एक्ट में परिवर्तन

भारत सरकार ने नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के मामलों पर कठोर निर्णय लेते हुए पॉकसो एक्ट में बदलाव कर मुहर लगा दी है। पी.एम. आवास पर चली ढ़ाई घंटे की बैठक के बाद फैसला लिया गया कि दुष्कर्म को दोषियों को फांसी देने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में दोषियों को मौत की सजा दी जाने का रास्ता साफ हो गया इनके साथ ही ऐसे मामलों में जाँच तेजी से पूरी की जाएगी। दुष्कर्म के दोषियों के लिए अधिकतम उम्र कैद सजा है और न्यूनतम सात साल की जेल है।

यौन उत्पीड़न निरोधक नीति

समाज में हर ओर व्याप्त यौन उत्पीड़न के दंश को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक है कि प्रत्येक संस्थान चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, अपने यहाँ यौन उत्पीड़न निरोधक नीति का निर्धारण करें और फिर इस पर कड़ाई से पालन करें। एक प्रारूपिक यौन शोषण निरोध नीति में मुख्य रूप से निम्नलिखित तत्वों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए।

1. यौन शोषण का आरोपी व्यक्ति चाहे किसी भी पद पर हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
2. यौन शोषण की एक विस्तृत परिभाषा इस प्रकार हो जिसे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से समझ सके।
3. नीति में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति यौन शोषण का दोषी पाया जाता है तो उसे क्या–क्या दण्ड दिये जा सकते है। आरोपी व्यक्ति की सेवा समाप्त तक किये जाने का उल्लेख भी होना चाहिए।
4. नीति में शिकायत प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि पीड़ित महिला किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है।
5. किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा महिला कर्मचारी का शारीरिक शोषण किये जाने के मामले में भी सख्य नियम नीति में होने चाहिए।
6. पीड़िता को सहायता और परामर्श हेतु कौन–कौन से व्यक्ति उपलब्ध हो सकते है, इस बात का भी उल्लेख हो ताकि पीड़ित महिला प्रत्येक उपलब्ध सहायता का उपयोग कर सके।
7. नीति में स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि यौन उत्पीड़न की शिकायत और शिकायत को निपटाने की प्रक्रियों की गोपनीयता हर हालत में बनाए रखी जाएगी।
8. यौन शोषण के खिलाफ प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो।

विद्यालयों में यौन शोषण की रोकथाम

प्राथमिक विद्यालय हो या विश्वविद्यालय, सरकारी शिक्षण संस्थान हो या पब्लिक स्कूल, हर जगह छात्राओं और महिला शिक्षिकाओं को पुरूष सहपाठियों या सहकर्मियों से यौन शोषण का शिकार होना पड़ता है। विद्यालयों में यौन शौषण की समस्या मात्र भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह अपराध पश्चिमी देशों में भी बहुत होता है, लेकिन भारत में बच्चियों के सामने समस्याऐं अपेक्षाकृत कुछ अधिक है। पहले से ही हमारे समाज में बच्चियों के शिक्षा ग्रहण करने में अनेकों बाधाएँ आती है और इन सब को पार कर यदि वे स्कूल के दरवाजे तक पहुँच भी और उन्हें यौन शोषण का दंश झेलना पड़े तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। प्रत्येक पुरूष और महिला कर्मी का कर्त्तव्य है कि वह इन अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। भारत के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत ढ़ाँचे की कमी के कारण भी यौन शोषण में बढ़ौतरी होती है। शिक्षा संस्थाओं में छात्राओं और महिलाओं का यौन शोषण रोकने हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते है :–

1. पुरूषों को यौन शोषण के खिलाफ जागरूक किया जाए।
2. छात्राओं को यौन शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने हेतु उनकी पर्याप्त हौंसला–अफजाई की जाए।
3. छात्राओं व शिक्षिकाओं को यौन शोषण के विरूद्ध अधिकारों के उपयोग हेतु जागरूक किया जाए।
4. सभी शिक्षण संस्थाओं में यौन उत्पीड़न के विरूद्ध शिकायत समितियों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाए।

5. प्रत्येक शिक्षण संस्थान में महिला शौचालय व महिला कॉमन रूम की व्यवस्था की जाए।
6. यदि कोई महिला अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताए तो उस पर पूर्ण विश्वास करें। उसे पूर्ण सहयोग व नैतिक समर्थन दें।
7. प्रत्येक 'अवांछित व्यवहार' यौन शोषण है।
8. छोटे बच्चों को 'अवांछित व्यवहार' का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
9. यदि महिला अपने साथ हुए यौन शोषण का विरोध करना चाहती है तो उसे शिकायत दर्ज कराने में सहायता करें।
10. अपने आसपास यौन शोषण की घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी स्वयं ले और देखे कि कोई महिला या बालिका यौन शौषण का शिकार न होने पाए।
11. भीड़ के साथ चलने की मानसिकता से बचे। अपनी सोच को तथ्यों के आधार पर स्वयं विकसित करें।

निष्कर्ष

यौन उत्पीड़न और बलात्कार एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों में ही पुरूष अपनी तथाकथित शक्ति का प्रदर्शन करके महिलाओं को अपना शिकार बनाता है और यह करने वाले अधिकतर पुरूष, पीड़िता के जानकार होते है। कहा जा सकता है कि यौन–उत्पीड़न पुरूष प्रभुत्व व पुरूष शक्ति प्रदर्शन के अलावा और कुछ नहीं है। सरकारी आँकड़े बताते है कि भारत में हर 26 मिनट में एक महिला शारीरिक शोषण का शिकार बनती है, लेकिन ये आँकड़े सिर्फ दर्ज मामलों के आधार पर ही प्राप्त किया गया है। इसलिए अगर वास्तविकता में देख जाए तो हमारे यहा शायद हर एक सेकेंड में कोई न कोई महिला शारीरिक शोषण का शिकार बनती है। बहरहाल यौन उत्पीडन एक बेहद घृणित नैतिक अपराध है, क्योंकि इसके कारण पीड़िता को अपने अस्तित्व तक से घृणा हो जाती है। हमारे देश में शारीरिक शोषण के विभिन्न पक्षों से संबंधित अनेकों कानून है। लेकिन इतने कानून के होते हुए भी इस जघन्य अपराध का ग्राफ लगातार तेजी से ऊँचा उठता जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि उपलब्ध कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाए और ईमानदारी पूर्वक न्यायिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द सम्पन्न किया जाए। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि सामाजिक दबाव और लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के कारण बलात्कार का शिकार बनी महिलाओं को आमतौर पर न्याय नहीं मिल पाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *शर्मा, पवित्र कुमार : नारी शोषण के विचित्र पहलू*
2. *त्रिपाठी, प्रो. मधुसूदन : शारीरिक शोषण और कानून*
3. *www.chauthiduniya.com*
4. *hi.vikaspedia.in>education>child-right*
5. *www.asalboat.com*